This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 / 27 श्रावण, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला- 171 009, 14 अगस्त, 2025

संख्या: पी0सी0एच0 ए0(1)18/2008-III**-23660-23862.**—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 05 जुलाई, 2025 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन

नियम, 2025 का प्रारूप, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित, जनसाधारण से आक्षेप (पों) और सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 10 जुलाई, 2025 को प्रकाशित किया गया था ;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 183 एवं 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (3) 6/94, तारीख 7 फरवरी, 1995 द्वारा अधिसूचित और तारीख 8 फरवरी, 1995 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 है ।

(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश, में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 28 के उप-नियम (8-क)' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारंभ के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए स्थानों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारंभिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो कि उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन प्रथम बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, स्थानों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा। "

3. नियम 87 का संशोधन.––उपरोक्त नियमों के नियम 87 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न ग्राम सभाओं में चक्रानुक्रमित किया जाएगा। "

4. नियम 88 का संशोधन.––उपरोक्त नियमों के नियम 88 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारम्भ होने के पश्चात् किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न पंचायत समितियों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा। "

5. नियम 89 का संशोधन.—उपरोक्त नियमों के नियम 88 के उप-नियम (8-क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

"(8-क) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के प्रारम्भ होने के पश्चात् संचालित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर, प्रारम्भिक चरण से इस प्रकार प्रचालित होगा, मानो उक्त निर्वाचन उप-नियम (8) के अधीन पहली बार संचालित किए जा रहे हों और तत्पश्चात्, पदों का आरक्षण इस नियम के अधीन विभिन्न जिला परिषदों में चक्रानुक्रमित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / —
सचिव (पंचायती राज)।

————————

[Authoritative English text of this Department Notification Number PCH-HA(1)18/2008-III, dated 14-08-2025 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-09, the 14th August, 2025

No. PCH-HA(1)18/2008-III**-23660-23862.—**Whereas, the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 were notified *vide* this department notification of even number dated 05-07-2025 and published in Rajpatra of Himachal Pradesh on dated 10-07-2025 for inviting objections and suggestions from general public under the provision of section 186 of Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objections received in this regard, within the stipulated period were considered by the State Government and necessary decision was taken thereon, accordingly.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 183 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994, notified *vide* this Department notification No. PCH-HA (3) 6/94, dated 7th February, 1995 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 8th February, 1995, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 28.—In rule 28 of H.P. Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the 'said rules') for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, namely:—

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of seats shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of seats shall be rotated to different constituencies under this rule."

3. Amendment of rule 87.—In rule 87 of the 'said rules' for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, namely:—

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Gram Sabhas under this rule."

4. Amendment of rule 88.—In rule 88 of the 'said rules' for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, namely:—

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Panchayat Samitis under this rule."

5. Amendment of rule 89.—In rule 89 of the 'said rules' for sub-rule (8-A), the following shall be substituted, namely:—

"(8-A) Notwithstanding anything contained in these rules, the roster of reservation of offices shall operate from the initial stage for the elections to be held after the commencement of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Second Amendment Rules, 2025 as if the said elections are being conducted for the first time under sub-rule (8) and thereafter, the reservation of offices shall be rotated to different Zila Parishads under this rule."

By order,

Sd/-
Secretary (Panchayati Raj).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 11 अगस्त, 2025

संख्याः पीसीएच-एचए (3)4/07-I/669687/2025.––इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29–05–2025 जिसे दिनांक 16 जून, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है के अन्तर्गत, जिला

हमीरपुर के विकास खण्ड बमसन की "ग्राम सभा बहोनी" का नाम व मुख्यालय बदलकर "छयोडी" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेपों/सुझावों प्राप्त नहीं हुए।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला हमीरपुर के विकास खण्ड बमसन की ग्राम सभा 'बहोनी' का नाम व मुख्यालय बदलकर "छयोडी" करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
सचिव (पंचायती राज)।

———————

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th August, 2025

No. :TPT-B(1)-1/2022.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the opening of new Regional Transport Office at Dehra, District Kangra, H.P. with immediate effect in public interest. The jurisdiction of Regional Transport Office at Dehra shall be as under:—

Sl. No.	Name of RTO Office	Jurisdiction
1.	Regional Transport Office Dehra, District Kangra, H.P.	1. Sub-Division Dehra 2. Sub-Division Jawali 3. Sub-Division Jawalamukhi 4. Sub-Division Indora 5. Sub-Division Fatehpur

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order to creation of following posts for the newly opened RTO Office at Dehra, District Kangra, H.P. with immediate effect:—

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Pay Scale in Rs.	Mode of Recruitment
1.	RTO (Departmental)	01	Level-16 of pay matrix of H.P. Civil Services (Revised pay) Rules, 2022.	By Promotion

2.	Sr. Assistant	01	Level-11 of pay matrix of H.P. Civil Services (Revised pay) Rules, 2022.	By Promotion
3.	MVI	01	Level-09 of pay matrix of H.P. Civil Services (Revised pay) Rules, 2022.	Direct Recruitment as per provision of R&P Rules.
4.	JOA (IT)	02	Level-04 of pay matrix of H.P. Civil Services (Revised pay) Rules, 2022.	Direct Recruitment as per provision of R&P Rules.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM),
Addl. Chief Secretary (Transport).

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th August, 2025

File No. FFE-B-F(5)-1/2018-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the "Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana (RGVSY)" as per enclosed **Annexure-A** in the public interest, with immediate effect.

By order,

Sd/-
(KAMLESH KUMAR PANT),
Additional Chief Secretary (Forest).

Annexure-A

Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana (RGVSY)

1. Introduction

The Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana (RGVSY) aims to strengthen conservation and development of forests by moving away from traditional departmental plantations to a community-driven approach. The Scheme involves Mahila Mandals, Yuvak Mandals, and conservation-

oriented Self Help Groups (SHGs), hereinafter referred to as Community-Based Organizations (CBOs).

Under this Scheme, CBOs will be financially supported to undertake afforestation activities and will be incentivized for ensuring high plant survival rates. The Scheme promotes sustainable livelihoods, biodiversity conservation, and ecological restoration while ensuring community ownership of the process.

2. Objectives

- Increase community participation in afforestation and forest conservation
- Ensure long-term survival of plantations through performance-based incentives
- Support livelihoods by engaging local communities in forestry activities
- Enhance forest cover and improve ecosystem services such as carbon sequestration, water conservation, and soil stabilization.
- Encourage local participation in forest restoration by involving women and youth-led groups.
- Promote biodiversity by planting native and high-value plant species

3. Financial Outlay

- **Total Budget:** ₹ 100 crores over **5 years** (2025-2030)
- **Annual Allocation (2025-26):** About ₹ 20 crores for planting trees over **1000-1500 hectares**.
- **Funds Source:** CAMPA (Compensatory Afforestation Management and Planning Authority) funds.

4. Eligibility of CBOs

To be eligible for participation in the **Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana (RGVSY),** a Community-Based Organization (CBO) must fulfill the following conditions:

4.1 Legal Registration:

- The CBO should be a registered entity under relevant laws as:
- Joint Forest Management Committee (JFMC)
- Village Forest Development Society (VFDS)
- Mahila Mandal, Yuvak Mandal, or Self-Help Group (SHG)
- Any other registered community group engaged in conservation or rural development.

4.2 Bank Account:

- The CBO must have a functional bank account in its registered name.
- If no such account exists, a new account must be opened before signing an agreement for plantation work.

4.3 Office Bearers:

- The CBO shall submit a list of its office bearers, including:
  - President
  - Secretary
  - Treasurer

4.4 Executive Committee for Oversight:

The CBO shall form an Executive Committee of 3 to 5 members to oversee:

- Proper execution of plantation works
- Fund management and transparency
- Regular reporting to the Forest Department.
- The Executive Committee shall be constituted through a formal resolution of the CBO, and its composition must be communicated to the concerned Range Forest Officer (RFO).

4.5 Experience & Commitment:

- Preference will be given to CBOs with prior experience in afforestation, NTFP collection, or forest conservation activities**.**
- The CBO must commit to protecting the plantation site for five years and ensuring a survival rate of at least 50%.

5. IMPLEMENTATION:

5.1 Role of Community-Based Organizations (CBOs)

Each CBO will be responsible for:

- Plantation & maintenance in designated forest areas (minimum 1 hectare, maximum 5 hectares) as per guidelines.
- Protecting the plantation area from grazing, fire and encroachments
- Ensuring 50% or more survival to qualify for incentives
- Documenting plantation work and assisting in periodic monitoring

- Keep records of activities and payments received
- Ensure transparent fund utilization and submit Utilization Certificates

5.2 Role of the Forest Department

The Forest Department will:

- Provide quality planting material from department nurseries
- Offer technical guidance on pit digging, moisture conservation, and protection
- Ensure timely fund disbursement as per performance benchmarks
- Conduct periodic monitoring and validate survival rates

5.3 Site Selection and Planning

For effective implementation of the **Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana (RGVSY)**, a structured process for site selection, planning, and approval shall be followed to ensure scientific afforestation and optimal fund utilization.

5.3.1 Identification of Suitable Plantation Sites:

- Each Divisional Forest Officer (DFO) shall prepare and submit a list of blank/degraded forest areas within their jurisdiction that are suitable for afforestation.
- The sites should be identified based on ecological need, community accessibility, and potential for long-term protection and maintenance.
- Plantation areas will be selected using GIS-based assessments and community willingness, forest dependence and long-term engagement of community groups criteria.

5.3.2 Community Consultation and Site Finalization:

- The site selection shall be done in consultation with the concerned Community-Based Organization (CBO) to ensure local involvement and ownership.
- Priority will be given to sites in the vicinity of the participating CBO to facilitate regular monitoring and care.

5.3.3 Preparation of a Site-Specific Plantation Plan:

- A detailed plantation restoration and management plan for each site shall be prepared by CBO with technical support from Forest Department, covering:
  - Protection measures (fencing, fire prevention, grazing control, etc.)
  - Plantation strategy (species selection based on local ecology)

- Soil and moisture conservation measures
- Water availability and provisions for irrigation, if necessary

- The site-specific plan should be jointly prepared by DFO and CBO
- Planting of fruit-bearing trees will be prioritized under the Scheme

5.3.4 Approval and Fund Disbursal:

- The CF shall approve the site-specific plan and submit a Forest Circle-wise consolidated list of selected sites to the Principal Chief Conservator of Forests (PCCF) HoFF for final approval and fund allocation.
- The amount allocated for each site shall not exceed □1.2 lakh per hectare as per scheme norms.
- Each forest range will have at least two Mahila Mandals, Yuvak Mandals and conservation-oriented SHGs participating.

5.3.5 Annual Fund Demand and Planning:

- Each year, by December, all DFOs shall submit fund requirements for the next financial year, covering:
  - Maintenance funds for ongoing plantations
  - New site allocations for afforestation
- The consolidated demand shall be reviewed and approved by the PCCF HoFF, ensuring timely financial planning and smooth implementation in the next financial year.

6. Fund Disbursement & Payment Mechanism

6.1 Fund Disbursement

- Each CBO will receive upto ₹ 1.2 lakh per hectare from CAMPA funds as per site specific plan approved and additional incentives based on survival.
- Financial Assistance of ₹ 1.2 lakh per hectare will be provided for plantation efforts.
- The Forest Department will make all efforts to make sure that each Mahila Mandal/Yuvak Mandal/other SHG gets at least 2 hectares of area for plantation.
- In case area is not available for planting, Forest Department will ensure planting by Mahila Mandal/Yuvak Mandal/other SHG on pro rata basis.
- A total amount of ₹ 2.4 lakh per 2 hectares with a norm of 800 tall plants per hectare with 20% materials (wooden fence posts) and 80% wage costs. The wooden fencing will be done by Forest Department, wherein Forest Department

will charge wooden fence posts and women or youth members of the CBOs can be involved in fencing on wages. Each CBO will have discretion to spend amount as per their decided activities. They carry out all plantation activities on their own including fencing or seek help for specific activities from forest officials. In case CBO asks Forest Department to do a particular work, CBO will ask for an estimate and then, get it approved in their respective General Body meeting. The Forest Department will spend funds and will give utilization certificates/verified receipts to CBO.

- Tall plants for these plantations will be provided by the Forest Department.

6.2 Payment Mechanism with Survival-Based Incentives

To ensure effective plantation and long-term sustainability, the payment mechanism under **Rajiv Gandhi Van Samvardhan Yojana (RGVSY)** will be divided into two components:

1. **Work-Based Payments** – To cover the cost of plantation activities

2. **Survival-Based Incentives** – To reward CBOs for ensuring high plant survival rates

Work-Based Payment Structure

Stage	Payment %	Conditions for Release
1st Installment	**50%**	Upon approval of the work plan and to initiate Advance Works of Plantation
2nd Installment	**50%**	After completion of plantation work and verification by the Forest Department.

- All payments will be made directly to the CBO's bank account through electronic transfer.

- Range Officer shall submit a verification report to DFO concerned. After verification of claims, funds shall be transferred as per the above schedule by DFO to the account of CBO.

Survival-Based Incentive Mechanism

- To encourage proper care of plantations, additional incentives will be provided based on plant survival rates year of plantation.

Year	Survival Percentage	Incentive/ Two hectare (In rupees)
1ST YEAR	>50%	1,00,000
	45-50%	80,000
	35-45%	60,000
2ND YEAR	>50%	1,00,000
	45-50%	80,000
	35-45%	60,000

3RD YEAR	>50%	1,00,000
	45-50%	80,000
	35-45%	60,000
4TH YEAR	>50%	1,00,000
	45-50%	90,000
	35-45%	80,000
5TH YEAR	>50%	1,00,000
	45-50%	90,000
	35-45%	80,000

- For upkeep/protection of plants for 6th and 7th year corpus fund be will kept @10% of plantation cost where forest trees are less than one hectare, proportionate cost will be given.

- The first incentive will be released after one year based on a survival assessment *i.e.* incentive for plantation in 2025-26 will be given in 2026-27 in June-July. The consequent incentives shall be paid subsequently.

- If survival falls below 35% no incentive will be provided

- The entire incentive mechanism will be linked to field inspection reports submitted by the Divisional Forest Officer (DFO) through Range Officers, verified by the Conservator of Forests.

6.3 Verification & Monitoring Before Incentive Release

Field Inspections:

- Survival verification will be conducted by the Forest Guard, Range Officer, and DFO through physical inspections and photographic evidence.

Utilization Certification:

- The CBO must submit a survival report and any necessary records for verification by forest officials before receiving the incentive.

6.4 Maintenance Fund

The maintenance funds as per norms of the CAMPA will be provided for weeding, watering, and soil working and as per the site-specific plans approved by CF for each year of maintenance and they will be the part of the incentive structure.

7. Monitoring & Evaluation

7.1 Digital Monitoring System

A portal will be used to geo-tag plantations and monitor survival rates. Each plantation site will be photographed and recorded for transparency. A state-level digital dashboard will be maintained, where divisions update plantation status, survival rates, fund utilization, and

community involvement data. CBOs will be trained to use mobile applications for site-suitability based site selection and self-reporting plantation survival rates, which will be cross-verified by forest officials.

The monitoring of the Scheme will be conducted by CAMPA, M&E of Forest Department and by DFO/CF levels as per the norms and guidelines of CAMPA.

7.2 Accountability & Corrective Measures

- In case of misreporting or fund misuse, the DFO shall initiate corrective action as per departmental guidelines. The matter will be reported to Conservator of Forests/DFOs who will take further action against CBO or subordinate officials as per the HP Financial Rules/CAMPA rules and guidelines.

- Periodic policy review meetings will be conducted at the state level to address implementation gaps and refine the Scheme.

8. Rights & Benefit Sharing

- CBOs can collect grass, fodder, fallen twigs, and NTFPs from the plantation site as per record of rights.

- No ownership rights over the land or standing trees will be granted

- Any intermediate harvest proceeds will be shared as per Forest Rights Record

9. Dispute Resolution Mechanism

Disputes will be resolved through joint discussions at the DFO level

If unresolved, the matter will be referred to the Conservator of Forests, whose decision shall be final.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th August, 2025

No. HHC/Admn. 16(18)96-II.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Ms. Uma Devi (HIM/691/2023). Ms. Muskan Anand (HIM/747/2024) and Sh. Yogender Kumar (HIM/454/2019, Advocates as Oath Commissioners at Anni, District Kullu for a period of two years with effect from 30-08-2025 for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-265/2003-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 03 days commuted leave *w.e.f.* 21-07-2025 to 23-07-2025, in favour of Dr. Abira Basu, Additional District and Sessions Judge, Sarkaghat, District Mandi, H.P.

Certified that Dr. Abira Basu had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Abira Basu would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Sarkaghat, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th August, 2025

No. HHC/Admin. 6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. *etc.* in respect of the establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014—Administration of Justice" during the earned leave period of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala *w.e.f.* 11-08-2025 to 14-08-2025 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday falling on 09-08-2025 and 10-08-2025 and suffix Gazetted holidays and Sunday falling from 15-08-2025 to 17-08-2025 or till she returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Dated, the 6th August, 2025

No. HHC/Admn. 3(352)/2009.—28 days commuted leave *w.e.f.* 29-06-2025 to 26-07-2025 with permission to suffix Sunday on 27-07-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Nisha Ahluwalia, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-240/99-II-(Part).—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 04 days earned leave *w.e.f.* 11-08-2025 to14-08-2025 with permission to prefix 2nd Saturday and Sunday falling on 09-08-2025 and 10-08-2025 and to suffix Gazetted holidays and Sunday falling from 15-08-2025 to 17-08-2025 in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala.

Certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01—09—2025

मोनू कुमारी पुत्री श्री चमनो, निवासी मुहल्ला / गांव साहलो, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–3576 / 2025, दिनांक 27–06–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1 जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-14042, दिनांक 24–06–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया मोनू कुमारी पुत्री श्री चमनो, निवासी मुहल्ला / गांव साहलो, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–06–1991 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मोनू कुमारी पुत्री श्री चमनो, निवासी मुहल्ला / गांव साहलो, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–06–1991 को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01–06–1991 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

अमन ठाकुर पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी मुहल्ला / गांव हरदासपुरा, डाकघर हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1720 / 2025, दिनांक 24–03–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा

अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-3930, दिनांक 18–02–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी अमन ठाकुर पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी मुहल्ला / गांव हरदासपुरा, डाकघर हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 11–10–2003 किन्हीं कारणों से नगर परिषद् चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अमन ठाकुर पुत्र श्री विजय सिंह, निवासी मुहल्ला / गांव हरदासपुरा, डाकघर हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 11–10–2003 को नगर परिषद् चम्बा के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 11–10–2003 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

मरजीना पुत्री श्री याकूब, निवासी मुहल्ला / गांव घरेड, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–984 / 2025, दिनांक 18–02–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-3359, दिनांक 05–02–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया मरजीना पुत्री श्री याकूब, निवासी मुहल्ला / गांव घरेड, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15–11–2019 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मरजीना पुत्री श्री याकूब, निवासी मुहल्ला / गांव घरेड, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 15–11–2019 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 15–11–2019 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

सपूरा पुत्री श्री गामा, निवासी मुहल्ला / गांव छलोगा, डाकघर सिल्लाघ्राट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–2351 / 2025, दिनांक 30–04–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-8507, दिनांक 21–04–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया सपूरा पुत्री श्री गामा, निवासी मुहल्ला / गांव छलोगा, डाकघर सिल्लाघ्राट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 20–10–2001 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सपूरा पुत्री श्री गामा, निवासी मुहल्ला / गांव छलोगा, डाकघर सिल्लाघ्राट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 20–10–2001 को ग्राम पंचायत सिल्लाघ्राट के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 20–10–2001 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

पुजा पुत्री श्री शिव नाथ, निवासी मुहल्ला / गांव व डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1970 / 2025, दिनांक 04–04–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-7418, दिनांक 02–04–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया सतो पत्नी श्री शिव नाथ, निवासी मुहल्ला / गांव व डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 18–05–2009 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साच के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सतो पत्नी श्री शिव नाथ, निवासी मुहल्ला / गांव व डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 18–05–2009 को ग्राम पंचायत साच के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि 18–05–2009 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

फूलमो उर्फ उषा पुत्री श्री सिखो, निवासी मुहल्ला / गांव सैहलणू, डाकघर सिंगी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–2304 / 2025, दिनांक 26–04–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-20946, दिनांक 14–11–2024, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया फूलमो उर्फ उषा पुत्री श्री सिखो, निवासी मुहल्ला / गांव सैहलणू, डाकघर सिंगी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 27–09–1982 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिंगी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया फूलमो उर्फ उषा पुत्री श्री सिखो, निवासी मुहल्ला / गांव सैहलणू, डाकघर सिंगी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 27–09–1982 को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 27–09–1982 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

गुरो पुत्री श्री ध्याना, निवासी मुहल्ला / गांव पनैली, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जटकरी, विकास खण्ड मैहला

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1526 / 2025, दिनांक 17–03–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-2897, दिनांक 30–01–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया गुरो पुत्री श्री ध्याना, निवासी मुहल्ला / गांव पनैली, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–07–1961 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जटकरी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया गुरो पुत्री श्री ध्याना, निवासी मुहल्ला / गांव पनैली, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–07–1961 को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01–07–1961 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

पूजा देवी पुत्री श्री हरि चन्द, निवासी मुहल्ला / गांव भण्डारका, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–769 / 2025, दिनांक 04–02–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-1183, दिनांक 17–01–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया पूजा देवी पुत्री श्री हरि चन्द, निवासी मुहल्ला / गांव भण्डारका, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05–05–1969 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत हरिपुर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत हरिपुर के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पूजा देवी पुत्री श्री हरि चन्द, निवासी मुहल्ला / गांव भण्डारका, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 05–05–1969 को ग्राम पंचायत हरिपुर के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 05–05–1969 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

हेम राज पुत्र श्री नारद, निवासी मुहल्ला / गांव रान, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहण, विकास खण्ड मैहला

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1467 / 2025, दिनांक 13–03–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-5798, दिनांक 12–03–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी हेम राज पुत्र श्री नारद, निवासी मुहल्ला / गांव रान, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 26–07–1975 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहण के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि

नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहण के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हेम राज पुत्र श्री नारद, निवासी मुहल्ला / गांव रान, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 26–07–1975 को ग्राम पंचायत सराहण के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 26–07–1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

अन्जू पुत्री श्री घरेकलू, निवासी मुहल्ला / गांव टिपरी, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुराड, विकास खण्ड मैहला

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1466 / 2025, दिनांक 13–03–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-5797, दिनांक 12–03–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया अन्जू पुत्री श्री घरेकलू, निवासी मुहल्ला / गांव टिपरी, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 17–01–1983 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गुराड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुराड के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया अन्जू पुत्री श्री घरेकलू, निवासी मुहल्ला / गांव टिपरी, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 17–01–1983 को ग्राम पंचायत गुराड के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक

माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 17–01–1983 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0/तहसील/रीडर/2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

उजल पुत्र श्री भंगी, निवासी मुहल्ला/गांव जटेड, डाकघर भटियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जटकरी, विकास खण्ड मैहला

विषय.––जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–2758/2025, दिनांक 20–05–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7229, दिनांक 28–03–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी उजल पुत्र श्री भंगी, निवासी मुहल्ला/गांव जटेड, डाकघर भटियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–07–1962 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जटकरी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उजल पुत्र श्री भंगी, निवासी मुहल्ला/गांव जटेड, डाकघर भटियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–07–1962 को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01–07–1962 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

दर्शना देवी पुत्री श्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला / गांव घोल्टी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–1892 / 2025, दिनांक 01–04–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7231, दिनांक 28–03–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया दर्शना देवी पुत्री श्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला / गांव घोल्टी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 10–03–1958 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सरोल के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया दर्शना देवी पुत्री श्री श्रीधर, निवासी मुहल्ला / गांव घोल्टी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 10–03–1958 को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 10–03–1958 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

किरणा पुत्री श्री कलासो, निवासी मुहल्ला / गांव डाडरा, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जटकरी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–2660 / 2025, दिनांक 13–05–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-9793, दिनांक 07–05–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पत्नी श्री कलासो, निवासी मुहल्ला / गांव डाडरा, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 28–10–2014 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत जटकरी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी पुखी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती लता देवी पत्नी श्री कलासो, निवासी मुहल्ला / गांव डाडरा, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पुत्री की जन्म तिथि 28–10–2014 को ग्राम पंचायत जटकरी के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की पुत्री की जन्म तिथि 28–10–2014 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 / तहसील / रीडर / 2025 तारीख पेशी : 01–09–2025

चैन लाल पुत्र श्री देवी शरण, निवासी मुहल्ला / गांव बिहोड, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.––जन्म / मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या–2180 / 2025, दिनांक 16–04–2025 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-7655, दिनांक 04–04–2025, शपथ–पत्र, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण–पत्र जिसमें प्रार्थी चैन लाल पुत्र श्री देवी शरण, निवासी मुहल्ला / गांव बिहोड, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–07–1962 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म रजिस्टर में दर्ज / पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी चैन लाल पुत्र श्री देवी शरण, निवासी मुहल्ला / गांव बिहोड, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01–07–1962 को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म / मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर–भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 01–07–1962 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–07–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 45 ना0 तह0 / वाचक / उप तह0 / तेलका / 2025–566–67 दिनांक : 02–08–2025

दिनेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार, गांव थलोगा, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौड़ा, विकास खण्ड सलूणी .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः 1. जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्याः–HFW-B&D/CMO-CBA/2025-14038, dated 24-06-2025, 2. शपथ–पत्र,

3. जन्म रिपोर्ट, 4. अप्रायप्ता प्रमाण–पत्र, 5. आधार कार्ड, 6. परिवार नकल, जिसमें आवेदक दिनेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार, गांव थलोगा, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक दिनेश कुमार का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 24–06–2025 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार, गांव थलोगा, डाकघर मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा की जन्म तिथि 22–04–1996 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत से सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के प्रकाशन के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदक दिनेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार, गांव थलोगा, डाकघर मौड़ा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मौड़ा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 02–08–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

———————

CORRECTION OF NAME

I, Dharmender Choudhary s/o Sh. Subhash Chand, r/o V.P.O. Rait, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card his name is entered as Abhimanyu, which is incorrect. That his correct name is Arav Choudhary. Concerned note.

DHARMENDER CHOUDHARY
s/o Sh. Subhash Chand,
r/o V.P.O. Rait,
Tehsil Shahpur, Distt. Kangra(H.P.).

———————

CORRECTION OF NAME

I, Sunder Lal s/o Bihari, V.P.O. Kasba Punner, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Suresh Kumar, which is incorrect. That my correct name is Sunder Lal. Concerned note.

SUNDER LAL
s/o Bihari,
V.P.O. Kasba Punner,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Udhami Devi w/o Sh. Roshan Lal, Village Behrwin Jattan, P.O. Sulkhan, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I want to correct my name as Udhami Devi instead of Udhmi Devi in Aadhar Card & Pan Card. All concerned note please.

UDHAMI DEVI
w/o Sh. Roshan Lal,
Village Behrwin Jattan, P.O. Sulkhan,
Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Guddi Devi w/o Molu Ram, r/o Village Karal, P.O. Shirar, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Neelam to Guddi Devi for all future purposes. Concerned note it.

GUDDI DEVI
w/o Molu Ram,
r/o Village Karal, P.O. Shirar,
Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dev Kali w/o Jagdish Chand, Village Kathog, P.O. Kathog, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar No. 4593 7565 3201 my name is entered as Dev Kala, which is wrong. My correct name is Dev Kali.

DEV KALI
w/o Jagdish Chand,
Village Kathog, P.O. Kathog,
Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hema Devi w/o Sh. Chander Mani, r/o Village Padwahan, P.O. Padwahan, Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.) declare that I want to change my name from Hima Devi to Hema Devi in my Aadhar No. 7291 7832 8246. All concerned note.

HEMA DEVI
w/o Sh. Chander Mani,
r/o Village Padwahan, P.O. Padwahan,
Tehsil Padhar, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Thakar Dass s/o Barru Ram, r/o V.P.O. Thala Kandi, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 061 declare that I have changed my name from Thakur Dass to Thakar Dass. Thakur Dass and Thakar Dass is the same person. All concerned may please note.

THAKAR DASS
s/o Barru Ram,
r/o V.P.O. Thala Kandi,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.)-176 061.

CHANGE OF NAME

I, Debku Devi w/o Sh. Sewak Ram, Sub-Tehsil Kotli, Sarwari Uperli (22), Khadyad Mandi (H.P.)-175 003 declare that I want to change my name from Dewaku to Debku Devi in my Aadhar No. 3091 4525 4987. All concerned note.

DEBKU DEVI
w/o Sh. Sewak Ram,
Sub-Tehsil Kotli, Sarwari Uperli (22),
Khadyad Mandi (H.P.)-175 003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।